तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२–२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

सन्दर्भ सं०
Ref. No. : 3402/NOC-729/14

दिनांक
Dated : 24.12.2014

सेवा में,

मै0 शिवम फिलिंग स्टेशन,
द्वारा–श्रीमती संगीता सिहं,
खसरा संख्या–909, ग्राम–दादरा, परगना–प्रतापगंज, तहसील–नवाबगंज,
जिला–बाराबंकी

विषयः पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 12/11/14 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र, अभिलेखों में दी गयी सूचनाओं एवं कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार के आधार पर आपके आवेदन पत्र पर विचार किया गया। आपके प्रस्तावित स्थल खसरा संख्या–909, ग्राम–दादरा, परगना–प्रतापगंज, तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प स्थापित किये जाने हेतु पर्यावर्णीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. उद्योग की स्थापना का कार्य आवेदन पत्र में वर्णित स्थल पर ही किया जायेगा तथा प्रस्तावनुसार अधिकतम 20 किली0 क्षमता का एक पेट्रोल टैंक तथा 50 किली0 क्षमता एक डीजल टैंक का भूमिगत भण्डारण सुरक्षित स्टील टैकों में किया जायेगा तथा एस्सार आयॅल्स लि0 से आपूर्ति की गयी मशीनों के माध्यम से ईधन की बिक्री किया जायेगा।
2. घरेलू जल/मल के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना इकाई के संचालन से पूर्व करना सुनिश्चित किया जायें।
3. आकस्मिक दुर्घटना/आग से निपटने हेतु कारखाना विभाग की गाइड लाइन्स के अनुरूप समुचित सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की जाये तथा अनुमोदित प्रस्ताव की छायाप्रति तीन माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. पेट्रोल पम्प के सचांलन से पूर्व नियमानुसार जल/वायु अधिनियम के अनुपालन में बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायें।
5. इकाई में यथा सम्भव खाली स्थान पर त्वरित गति से बढने वाले पौधों का रोपड़ कर हरितपटिटका विकसित की जाये।
6. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक माह में प्रेषित करें।
7. पेट्रोल पम्प स्थल का भू उपयोग प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर एक माह में प्रेषित करें।
8. यह आदेश निर्गमन तिथि से अगले 01 वर्ष हेतु विधि मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

• PICUP Bhawan, 4th Floor, B-Block Vibhuti Khand, Gomti Nagara, Lucknow-226010 • पिकप भवन, चतुर्थ तल, बी-ब्लाक, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०
Email : rolucknow@uppcb.com